फाइल नं0-71-3002(003)/3/2023-03

73/2026/I/1276450/2026

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
हरदोई।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 24 मार्च, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र सहायतित योजना "इस्टैबलिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल" (फेज-2) के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई के निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-ए0एस0एम0सी0/हरदोई/2025/1397, दिनॉक 11.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 206.3320 करोड़+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी एवं विद्युत संयोजन हेतु रू0 5.7622 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति को जोड़ने के पश्चात् संशोधित स्वीकृत लागत रू0 212.0942 करोड़ है। उक्त स्वीकृत लागत रू0 212.0942 करोड़ + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रू0 201.4895 करोड़ (केन्द्रांश + राज्यांश) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र0	**शासनादेश संख्या व दिनॉक**	**धनराशि (रू0 करोड़ में)**
1	संख्या-40/2018/903/71-3-2018-एन0एम0-07/2018, दिनॉक 14.11.2018	50.00 (केन्द्रांश)
2	संख्या-84/2019/277/71-3-2019-एन0एम0-07/2018, दिनॉक 14.11.2019	14.14 (केन्द्रांश)
3	संख्या-13/2020/70/71-3-2020-एन0एम0-07/2018, दिनॉक 17.02.2020	12.50 (राज्यांश)
4	संख्या-62/2020/1011/71-3-2020-एन0एम0-07/2018, दिनॉक 30.09.2020	13.15 (राज्यांश)
5	संख्या-89/2020/1441/71-3-2020-एन0एम0-07/2018, दिनॉक 30.12.2020	20.00 (केन्द्रांश)
6	संख्या-32/2020/1441/71-3-2020-एन0एम0-07/2018, दिनॉक 24.02.2021	44.00 (क्रे0+रा0)
7	संख्या-96/2021/ई-1762672/71-3-2021-एन0एम0-07/2018, दिनॉक 12.08.2021	20.85 (केन्द्रांश)
8	संख्या-140/2021/ई-1833745/71-3-2021, दिनॉक 24.11.2021 (विद्युत संयोजन)	5.7622 (राज्यांश)
9	संख्या-138/2022/ई/222852/2022-71-3099/105/2020-03, दिनॉक 10.10.2022	12.0750 (राज्यांश)
10	संख्या-112/2023/ई/416366/2023-71-3099/105/2020-03, दिनॉक 30.10.2023	9.0123 (रू0 1.00 करोड़ केन्द्रांश तथा रू0 8.0123 करोड़ राज्यांश)
	योग-	**201.4895**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मेडिकल कालेज, हरदोई हेतु लेखाशीर्षक-4210-03-105-0102 में मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में रू0 801.00 लाख (रू0 आठ सौ एक लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही प्रश्नगत योजना की गाइड लाइन में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. महानिदेशक/प्रधानाचार्य परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से स्वंय संतुष्ट हो लेंगे।
5. महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा इस योजना के लिए पूर्व में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के प्रयोजन पर व्यय किया गया है।
6. योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. महानिदेशक/प्रधानाचार्य संतुष्ट हो लेंगे कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है तथा धनराशि का आहरण इसके पूर्व नहीं किया गया है।
8. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।
9. शासनादेश संख्या-40/2018/903/71-3-2018-एन0एम0-07/2018, दिनॉक 14.11.2018 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,01,00,000 (रुपये आठ करोड़ एक लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050102 मेडिकल कालेज, हरदोई मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/हरदोई।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8. नियोजन-अनुभाग-4/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in